

28/5/26

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनु।
वादी को एक - एक कर तीन बार आवाजे
लगावाई गई, परन्तु शाम 5 बजे तक
न तो वादी आँरे न ही उनकी ओर
से कोई प्लीडर उप-हुआ। अतः

पत्रावली को अदम हाजरी, अदम पेशी
में रजिस्ट्रिज किये जाने के आदेश प्रदान
किये जाते हैं। पत्रावली फौजदारी शुमार
होकर, एक नम्बर से कम होकर,
दालखाने दफतर हो।